न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2020/137

1. राधेश्याम पुत्र रामकरण जाति ब्राह्म्ण
2. गिर्राज पुत्र रामकरण जाति ब्राह्म्ण मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1 विमला पत्नी स्व0 गिर्राज
   2/2 रूकमणी पुत्री स्व0 गिर्राज
   2/3 शिव प्रकाश पुत्र स्व0 गिर्राज
   2/4 सुरेश पुत्र स्व0 गिर्राज
   2/5 ललिता पुत्री स्व0 गिर्राज
   2/6 मनोज पुत्र स्व0 गिर्राज
   निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

––अपीलांटगण

बनाम

1. कमल यादव पुत्र रामकिशन जाति अहीर निवासी नापाहेड़ा रोड सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री राजेश अड़सेला अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

अपील संख्या– 2020/148

कमल यादव पुत्र रामकिशन जाति अहीर निवासी नापाहेड़ा रोड सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

––अपीलांटगण

बनाम

1. **राधेश्याम पुत्र रामकरण जाति ब्राह्म्ण**

अपील संख्या 2020/137(राधेश्याम बनाम कमल यादव)
एवं
अपील संख्या 2020/148(कमल यादव बनाम राधेश्याम)

2. गिर्राज पुत्र रामकरण जाति ब्राह्म्ण मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1 विमला पत्नी स्व0 गिर्राज
   2/2 रूकमणी पुत्री स्व0 गिर्राज
   2/3 शिव प्रकाश पुत्र स्व0 गिर्राज
   2/4 सुरेश पुत्र स्व0 गिर्राज
   2/5 ललिता पुत्री स्व0 गिर्राज
   2/6 मनोज पुत्र स्व0 गिर्राज
   निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश अड़सेला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 से 2/6 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 15.01.2024

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनो अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 38/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सबंधित होने तथा समान पक्षकार होने एवं एक ही निर्णय दिनांक के विरूद्ध प्रस्ततु होने से उक्त दोनो अपीलें इस एकल निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनो अपीलों के साथ संलग्न रहे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट(अपील संख्या 2020/137) ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं० 300 में खसरा नं० 1609 रकबा 0.08 हे० भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में दर्ज है। उक्त भूमि को इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त

आराजी प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण को पारिवारिक मौखिक बटवारे में प्राप्त हुई हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चलें आ रहें है। उक्त विवादित आराजी ख0नं0 1609 रकबा 0.08 हे० भूमि अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि के लगवा स्थित है। अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा मकान निर्माण करवाया जा रहा है। जो अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि ख०नं० 1609 रकबा 0.08 हे० भूमि पर जबरन नीवें खोद रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 1 से मना किया तो प्रार्थीगण को कब्जा करके मकान निर्माण करवाने की धमकी दी। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के विरोध करने के बावजूद भी अप्रार्थी क्रम 1 उक्त विवादित भूमि पर बिना सीमाज्ञान करवाये तथा भूमि को बिना रूपान्तरण करवायें मकान निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जो अवैध है एवं अप्रार्थी क्रम 1 अपनी भूमि की आड में प्रार्थीगण की भूमि पर मेढ तोडकर जबरदस्ती अन्दर घुस कर मकान निर्माण करवाने के लिए नीवें खुदवा रहा है। जिसका अप्रार्थी क्रम 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के कब्जे, स्वामित्व, हिस्से, खाते की भूमि खसरा नं० 1609 रकबा 0.08 हे० भूमि पर जोर जबरदस्ती से किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, प्रार्थीगण की भूमि को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचाये, नीवें नहीं खुदवायें तथा जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादीगण के उपयोग उपभोग/काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दंखालदाजी नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी क्रम 1 जारी फरमाई जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या मामला है जो सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा में किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि–(1) अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के कब्जे, स्वामित्व, हिस्से, खाते की भूमि ग्राम सुल्तानपुर तह० दीगोद में खसरा नं0 1609 रकबा 0.08 हे० भूमि पर जोर जबरदस्ती से किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें प्रार्थीगण की भूमि को किसी प्रकार से क्षति नही पहुँचाये, नीवें नही खुदवायें, खुर्द–बुर्द नही करें तथा जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करें प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग/काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दंखलदाजी नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी क्रम 1 जारी

फरमाई जावे। (2) कि अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलाई जावें।

4. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षी संख्या 1 अपीलांट(अपील संख्या 2020/148) की ओर से कांउटर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2020 को प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 अपीलांट(अपील संख्या 2020/148) की ओर से प्रस्तुत काउंटर प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनो अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक प्रतिपक्षी संख्या 1 अपीलांट(अपील संख्या 2020/00148) की ओर से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक प्रतिपक्षी संख्या 1 अपीलांट(अपील संख्या 2020/00148) की ओर से को खारिज फरमाया जावे ।

6. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपील संख्या 2020/137 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपील संख्या 2020/148 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 लगायत 2/6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिक्ताओं की बहस सुनी गई।

7. अपील संख्या 2020/137 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय सिंचिता के सिद्वी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र निर्धारित

करते हुए प्रथम दृष्टया का बिन्दू अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष मे तय किया है तथा यदि प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है, तो सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाना चाहिये था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके विधि की भूल की है, इस कारण से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी अपने काउन्टर क्लेम मे यह तथ्य स्पष्ट रूप से लिखकर आया है कि उसका विवादित कृषि आराजी पर 50 वर्षों से कब्जा है वह उस विवादित भूमि पर मकान का निर्माण करा रहा है तथा उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी 1/2 का रिकोर्ड खातेदार है। वह पूरी भूमि पर वाद नहीं ला सकता है, रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्ट क्लेम मे उल्लेखित किया है जो कि अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन इंगित इस कारण से कर रहे थे, अपीलान्ट/ प्रार्थी उक्त विवादित भूमि के खातेदार कृषक है, जिनकी भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा कर रखा है, जबकि कानूनन यादि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खाते की भूमि पर काबिज हो तो वह उस कब्जे का उपयोग अपने अधिकार व स्वत्व के रूप मे नही कर सकता है, बावजूद इसके योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करके विधि की भूल की है इस कारण आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह धारा 212 आर.टी.एक्ट के सम्बन्ध मे कथन किया है कि कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे ऐसा वाद या कार्यवाही उससे सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या हस्तांतरित किये जाने के खतरे में है प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी नम्बर–1 द्वारा विवादित आराजी का दुरूपयोग किये जाने की संभावना प्रकूट नहीं होती है। जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.08 हैक्टर पर मकान का निर्माण कर रहा है, जो कि अपीलान्ट /प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज है तथा मकान बनाना इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि कृषि भूमि का दुरूपयोग हो रहा है और किसी कृषि भूमि पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण जो कि अनाधिकृत है, यह कृषि भूमि के दुरूपयोग की श्रेणी में ही आता है बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्माण को भूमि की दुरूपयोग की श्रेणी में नहीं माना और अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की भूल की है, इस कारण से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह कथन ओलखित किया है कि 'प्रार्थीगण या प्रतिपक्षी को विवादित आराजी पर उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विश्चिय मूलवाद पर सम्यक

साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र व प्रतिपक्षी नम्बर–1 के काउन्टर क्लेम के आधार पर। जब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति आ गयी थी, कि भूमि की स्थिति इनमिडियो है तथा भूमि पर सरकार का किसी भी तरह का कोई हक या अख्त्यार है, तब ऐसी स्थिती मे विवादित आराजीयात की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करके विधि एवं तथ्य की मिश्रित भूल की है, इस कारण से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है।क विधायिका द्वारा न्यायालयो पर यह कि कर्तव्य अधीरोपित किया है कि न्यायालय वादग्रस्त सम्पत्ति का संरक्षण करे, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में कृषि आराजी पर मकान का निर्माण प्रतिपक्षी/रेस्पोडेन्ट करवा रहा है, ऐसी स्थिति मे न्यायालय को भूमि पर हो रहे निर्माण को रोका जाना चाहिए था तथा यथा स्थिति कायम की जानी चाहिए थी, न्यायालय ने ऐसा नही करके अपने में निहित क्षेत्राधिकार का अपवर्जन किया है। इस कारण से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 निरस्त किए जान तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित भूमि खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.08 हैक्टर पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने ऐजंन्टो से करावे एवं मौके की यथा स्थिती बरकरार रखी जावे एवं अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो भी हो अपीलान्टगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

8. अपील संख्या 2020/148 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपील विषयक आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना प्रकट होते हुए भी मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही होना मानते हुए खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दुओ पर सकारण निष्कर्ष देते हुए ही पारित किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के काउण्टर अस्थायी निषेधाज्ञा पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णनीय क्षति जैसे तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई निष्कर्ष कारण व तर्क अभिलिखित किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है जो तर्कहीन एंव नॉन स्पीकिंग निर्णय होने से संशोधित किया जाकर रेस्पोडेण्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा

पूर

अपील संख्या 2020/137(राधेश्याम बनाम कमल यादव)

एवं

अपील संख्या 2020/148(कमल यादव बनाम राधेश्याम)

प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट का काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा उस पक्षकार के हक में जारी की है जिसका आराजी पर कब्जा हो चाहे वह कब्जा अधिकृत है अथवा नहीं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर–1609 पर अपीलांट का कब्जा होना मानते हुए भी निर्णय जैर अपील पारित की है जो संशोधित कर अपीलांट का काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है।क अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया। कि अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर–1609 वाके ग्राम सुल्तानपुर पर अपीलांट के पिता रामकिशन व माता मोहिनी बाई का विगत 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि ग्राम सुल्तानपुर मे आबादी से लगवा होने एंव अपीलांट का पूर्व मे कच्चा मकान व दुकान बनी हुई है। उक्त दुकान में अपीलाण्ट यादव वेल्डिंग रिपेयरिंग के नाम से कारोबार करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में स्थित मकान पर अपीलाण्ट का बिजली का घरेलू कनेक्शन लगा हुआ है एंव उक्त भूमि पर अपीलांट के उपयोग हेतु शौचालय भी बना रखा है। अपीलांट उक्त अपील विषयक भूमि पर निरन्तर अपने माता पिता के समय से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी पर अपीलांट अपने माता पिता के साथ पिछले 50 वर्षों से काबिज निरन्तर चले आ रहे है। अपीलांट उक्त अपील विषयक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण तरीके निर्णय जैरे अपील पारित करने में त्रुटि की है जो आंशिक रूप से निरस्त किये जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि आराजी खसरा नम्बर–1609 रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा के संबध मे पूर्व मे एक वाद संख्या–144/91 बउनवानी मोहिनी बाई वगैरा बनाम रमेश वगैरा मे न्यायालय उप जिला कलेक्टर दीगोद द्वारा दिनांक 30.10.2002 को निर्णय पारित किया था जिसमे आराजी खसरा नम्बर–1609 के पूर्व खसरा नम्बर 789 जो सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज थी के संबध में तहसीलदार दीगोद को जांच करे ओर यदि अवैधानिक रूप से उक्त भूमि दर्ज हुई हो तो दुरुस्ती की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु तहसीलदार दीगोद साहब द्वारा ऐसी किसी प्रकार की जांच आज तक अमल मे नही लायी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संशोधित कर अपीलाण्ट की काउण्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। वाद लाने के समय वादीगण रेस्पो० कम 1 व 2 अपना कब्जा प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाया है तो वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट

क्रम 1 व 2 का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.9.2020 को संशोधित करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाने का निवेदन किया तथा रेस्पोडेंट को इस आशय की निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वह अपीलांट के कब्जे में स्थित भूमि खसरा नम्बर–1609 वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद एंव उक्त खसरा नम्बर में स्थित मकान, दुकान के उपयोग उपभोग व कब्जे मे किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वंय करे ओर ना ही किसी प्रतिनिधि से करवाये।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.08 हैक्टेयर भमि के सम्बंध में हक अधिकारो को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की खसरा संख्या 1609 की भूमि दिगर पुन्यार्थ रामकरण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 प्रेमलता बेवा विश्म्भर दत्त, योगेश कुमार, राजेन्द्र कुमार, ओमप्रकाश, पि. विशम्भर दत्त, किशनी बाई, कमलेशबाई पुत्रियां विशम्भर दत्त लक्ष्मीनारायण, मदन मोहन पि. रामकल्याण मु. केशरबाई बेवा कल्याण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 1692 दिनांक 20.10.2014 से विरासत द्वारा रामकरण के स्थान पर अपीलांट राधेश्याम, गिरिराज एवं अन्य वारिसान का नाम दर्ज किए जाने का अंकन है। मोका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 में खसरा नम्बर 1609 की भूमि पर अपीलांट कमल यादव का कच्चा/पक्का निमार्ण होने का अंकन है। अपीलांट कमल यादव ने प्रश्नगत खसरा नम्बर 1609 की भूमि पर स्वयं का कब्जा होने के समर्थन में बिजली बिल, ग्राम पंचायत का लेख आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए है जिनसे अपीलांट कमल यादव का प्रश्नगत खसरा नम्बर 1609 की भूमि पर मकान बनाकर काबिज होना प्रकट होता है। चूंकि प्रश्नगत खसरा नम्बर 1609 की भूमि अपीलांटगण(अपील संख्या 2020/137) की खातेदारी में दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1(अपील संख्या 2020/137) का प्रश्नगत खसरा नम्बर 1609 की भूमि पर कब्जा होना तथा मकान बना होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु उभयपक्षकारान के पक्ष में समान रूप से निहित है। यदि किसी एक पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो दूसरे

पक्षकार को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत होना शेष है अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट(अपील संख्या 2020/137) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अप्रार्थी अपीलांट(अपील संख्या 2020/148) की ओर से प्रस्तुत काउंटर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 25.09.2020 में अंकित किया है जो विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें(अपील संख्या 2020/137 एवं अपील संख्या 2020/148) खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 38/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा